



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 457]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 6, 2018/आषाढ़ 15 1940

No. 457]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 6, 2018/ASHADHA 15, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2018

सा. का. नि. 618(अ).— अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी करने का प्रस्ताव करती है, को पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 नियम 5 के उप-नियम (3) की अपेक्षानुसार इसके द्वारा प्रभावित होने वाली जनता की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर उस तारीख से जिसको भारत के राजपत्र, जिसमें यह अधिसूचना अंतर्विष्ट है, की प्रतियां जन-साधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा:

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह त्रिनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, उसे सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110013 को लिखित में भेज सकता है या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव और मंत्रालय के वैज्ञानिक 'डी' को ई-मेल पते अर्थात् mscb.cpcb@nic.in और h.kharkwal@nic.in पर भेज सकता है।

प्रारूप नियम

केंद्रीय सरकार एतद्वारा पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में और संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम ब्रताती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का नाम पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2018 है।
(2) ये नियम राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।
2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में अनुसूची-I में क्र. सं. 15 पर प्रविष्टि को निम्नलिखित प्रविष्टि से प्रतिस्थापित किया जाएगा :

15. किण्वन उद्योग (मद्य निर्माणशाला, माल्ट निर्माणशाला और सुरा निर्माणशाला)

(क) बहिस्त्राव मानक

1. शीरा आधारित मद्य निर्माणशालाएं:

क) खमीर विनिर्माण इकाइयों सहित सभी शीरा आधारित मद्य निर्माणशालाएं निम्नलिखित प्रक्रियाओं द्वारा शून्य द्रव स्राव (जैडएलडी) के लक्ष्य को प्राप्त करेंगी:

1. अवशिष्ट धोवन का सान्द्रण और भस्मीकरण। अशोधित/जैव-मिथेनीकृत अवशिष्ट धोवन को एमईई और/या आरओ द्वारा (न्यूनतम 45-60% ठोस) सान्द्रित और वाष्पित्र में भस्मीकृत किया जाना है; या अवशिष्ट धोवन का सान्द्रण और उसका उपयोग निपीडित मिट्टी के साथ जैव-कंपोस्टिंग में करना। जैव-मिथेनीकृत अवशिष्ट धोवन को एमईई और/या आरओ द्वारा (30% ठोस के साथ आयतन में न्यूनतम 40%) सान्द्रित किया जाना है और निपीडित मिट्टी के साथ मिश्रित करके उसे जैव-कंपोस्ट में परिवर्तित करना।
2. अन्य प्रक्रियाजनित/गैर-प्रक्रियाजनित बहिस्त्रावों, आरओ परमिएट एमईई संघनित तत्वों इत्यादि का उपयुक्त रूप में शोधन किया जाएगा और प्रक्रिया में पुनः प्रयोग किया जाएगा; और उसका स्राव नहीं किया जाएगा।

(ख) किसी अन्य इकाई की सहायता के बिना चलने वाली नई मद्य निर्माणशालाओं में (जिनमें चीनी विनिर्माण की इकाई नहीं है) या शीरा आधारित स्वतंत्र मद्य निर्माणशालाओं के उत्पादन में वृद्धि होने पर अवशिष्ट धोवन के सान्द्रण और भस्मीकरण द्वारा शून्य द्रव स्राव के लक्ष्य को हासिल करना होगा। अशोधित/जैव-मिथेनीकृत अवशिष्ट धोवन को एमईई और/या आरओ द्वारा (न्यूनतम 45-60% ठोस) सान्द्रित और वाष्पित्र में भस्मीकृत किया जाना है।

अन्य प्रक्रिया जनित/गैर-प्रक्रिया जनित बहिस्त्रावों, आर.ओ. परमिएट, एमईई संघनित तत्वों आदि को उचित तरीके से शोधित किया जाएगा और प्रक्रिया में पुनः उसका उपयोग किया जाएगा; और उसे उत्सर्जित नहीं किया जाएगा।

2. अनाज आधारित मद्य निर्माणशालाएं :

सभी अनाज आधारित मद्य निर्माणशालाओं में निस्तारण द्वारा, वाष्पण एवं शुष्कण द्वारा सान्द्रण करके शून्य द्रव स्राव का लक्ष्य हासिल किया जाएगा। जैडएलडी का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु मद्य निर्माणशालाओं में निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा:

- (i) संपूर्ण धानी निस्तारण किया जाएगा, पतली धानी को वाष्पित किया जाएगा और गीली टिक्रिया एवं शीरा को मिश्रित किया जाएगा और शुष्कित्र में सुखाया जाएगा तथा उसे डिस्टिलर्स ड्राइड ग्रेन्स विद् नॉल्युब्ल्स (डीडीजीएम) में परिणत किया जाएगा। उद्योगों द्वारा बायो-गैस फिर से प्राप्त करने के लिए किमी मध्यवर्ती स्ट्रीम का जैव-मिथेनीकरण भी किया जाएगा।
- (ii) डीडीजीएम में आर्द्रता की मात्रा 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- (iii) अन्य गैर-प्रक्रियाजनित बहिस्त्रावों, आर.ओ. परमिएट, एमईई संघनित तत्वों आदि को उचित तरीके से शोधित किया जाएगा और प्रक्रिया में फिर से उसका उपयोग किया जाएगा; और स्राव नहीं किया जाएगा।
- (iv) अनाज और शीरा दोनों पर आधारित उद्योगों को जैडएलडी प्राप्त करने हेतु दोनों प्रणालियां स्थापित करनी होंगी।

3. आसवन द्वारा मद्य निर्माण करने वाली कोई अन्य प्रक्रिया/उद्योग :

आसवन द्वारा मद्य निर्माण करने वाली किसी अन्य प्रक्रिया/उद्योग को उपयुक्त शोधन पद्धतियां अपनाकर शून्य द्रव स्राव का लक्ष्य प्राप्त करना होगा।

जो मद्य निर्माणशालाएं सान्द्रण और भस्मीकरण के समतुल्य किमी वैकल्पिक प्रौद्योगिकी, जैसे - वाष्पित्र के साथ स्प्रै-ड्रायर, ऑक्स ईंधन और वाष्पित्र से युक्त पूर्ण द्रायर को अपनाना चाहती हैं, उन्हें संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से इस संबंध में अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

4. सुरा निर्माणशाला, माल्ट निर्माणशाला और अन्य किसी इकाई की सहायता के बिना संचालित बोटलिंग इकाइयां:

मभी सुरा निर्माणशाला, माल्ट निर्माणशाला और अन्य किसी इकाई की सहायता के बिना संचालित बोटलिंग इकाइयों को अपने बहिष्काव को उपयुक्त नरीके से शोधित करके निम्नलिखित स्त्राव मानकों का अनुसरण करना होगा।

क्रम सं.	मानदंड	मानक (पीएच और रंग एवं गंध के लिए किए गए सान्द्रण को छोड़कर सान्द्रण की मात्रा मि.ग्रा./ली. से अधिक नहीं होनी चाहिए)
1.	पीएच	6.5-8.5
2.	रंग एवं गंध	रंग एवं दुर्गंध को हटाने के लिए हर-संभव प्रयास करना चाहिए।
3.	निलंबित ठोस	50
4.	बीओडी (3 दिन 27 ^{सेंटीग्रेड} पर)	20
	समुद्र तट या नदी/धाराओं में निपटाना भूमि पर अथवा मिंचाई के लिए निपटान	20

(ख) उत्सर्जन मानक:

उत्सर्जन मानकों का निर्धारण वाष्पित्रों के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाएगा। प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं किया जाएगा।

[फा. सं. क्यू-15017/20/2015-मीपीडब्ल्यू]

डॉ. ए. मंथिन वेल्, वैज्ञानिक 'जी'

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में का.आ. सं. 844(अ), तारीख 19 नवम्बर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्यांक ना.का.नि. 593(अ), तारीख 28 जून, 2018 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th July, 2018

G.S.R. 618(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public.

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period

specified above to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi-110003, or send it to MS, CPCB and Scientist 'D' Ministry at the e-mail address i.e. mscb.cpcb@nic.in and h.kharkwal@nic.in.

Draft Notification

The Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Environment (Protection) Amendment Rules, 2018.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule-I, the entry at serial number 15 shall be substituted by the following entry:

15. Fermentation Industry (Distilleries, Malteries and Breweries)

(A) Effluent Standards

1. Molasses based distilleries:

A) All molasses based distilleries including yeast manufacturing units shall achieve zero liquid discharge (ZLD) by:

1. Concentrating and incinerating the spent wash. Raw / Bio-methanated spent wash to be concentrated by MEE and / or RO (minimum 45-60 % solids) and incinerated in boiler: **or** Concentrating and utilising the spent wash in bio-composting with press mud. Bio-methanated spent wash to be concentrated by MEE and / or RO (minimum 40% by volume with 30% solids) and to be converted into bio compost by mixing with press mud.
2. Other process / non process effluents, RO permeate, MEE condensate etc., shall be suitably treated and reused in the process; and shall not be discharged.

B) New stand alone distilleries (not having sugar unit) or increase in production of standalone distilleries based on molasses shall achieve zero liquid discharge by concentrating and incinerating the spent wash. Raw/Bio-methanated spent wash to be concentrated by MEE and / or R.O. (Min. 45-60 % Solids) and incinerated in boiler.

Other process / non process effluents, R.O permeate, MEE condensate etc. shall be suitably treated and reused in the process; and shall not be discharged.

2. Grain based distilleries:

All grain based distilleries shall achieve zero liquid discharge by decantation, concentration by evaporation and drying. The distilleries shall follow the below route for achieving ZLD

- (i) The whole stillage shall be decanted, thin stillage shall be evaporated and wet cake and syrup shall be mixed and dried in a dryer and converted into Distillers' Dried Grains with Solubles (DDGS). Bio-methanation of any intermediate stream for recovery of bio gas can also be carried out by the industries.
- (ii) The moisture content of DDGS should not be more than 10 %.
- (iii) Other non process effluents, R.O permeate, MEE condensate etc, shall be suitably treated and reused in the process; and shall not be discharged
- (iv) Industries those shall operate on both grain and molasses shall have both the systems for achieving ZLD.

3. Any other process / industry producing alcohol by distillation:

Any other process / industry producing alcohol by distillation shall achieve zero liquid discharge by adopting suitable treatment methods.

Those distilleries who want to adopt any alternative technology equivalent to concentration and incineration such as spray drier with boiler, rotary dryer with aux fuel & boiler, gasification, etc for achieving ZLD shall get it approved from respective State Pollution Control Boards.

4. Breweries, Malteries and Stand alone bottling units:

All Breweries, Malteries and Stand alone bottling units shall achieve the following discharge standards by giving suitable treatment for their effluent.

S. No.	Parameter	Standard (Concentration not to exceed mg/lit except for pH and colour & odour)
1.	pH	6.5-8.5
2.	Colour and odour	All efforts should be made to remove colour and unpleasant odour as far as practicable
3.	Suspended solids	50
4.	BOD (3 days at 27 C)	20
	Disposal in to inland surface water or river / streams Disposal on land or for irrigation	20

(B) Emission Standard:

The emission norms shall be stipulated in accordance with standards prescribed for boilers. No separate provision shall be made in each of the category.

[F. No. Q-15017/20/2015-CPW]

Dr. A. SENTHIL VEL, Scientist 'G'

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number S.O. 844 (E), dated the 19th November, 1986 and last amended *vide* notification number G.S.R. 593(E), dated the 28th June, 2018.

RAKESH
SUKUL

Digitally signed by
RAKESH SUKUL
Date: 2018.07.11
13:24:10 +05'30'